संख्या-26/2021/1961/36-2-2021-10(जी)/2020-टी0सी0

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उ0प्र0, कानपुर।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक : 02 नवम्बर, 2021

विषय: उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 के अन्तर्गत कोषागारों में जमा धनराशि की वापसी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि में से कोषागारों से सत्यापित धनराशि को आहरित कर बोर्ड के खाते में जमा कराने की स्वीकृति दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2528-29/लेखा-बजट-2021/बीओसी(एफ-207/174), दिनांक 27-09-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में ''उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी'' हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र), जिसे शासनादेश संख्या-10/2021/909/36-2-2021-10(जी)/2020, दिनांक 06-05-2021 द्वारा अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के सापेक्ष धनराशि रूपये 7,01,85,989/- (रूपये सात करोड़ एक लाख पचासी हजार नौ सौ नवासी मात्र) को कोषागार कानपुर नगर से आहरित कर बोर्ड के निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक, इण्डियन बैंक, सचिवालय बापू भवन, लखनऊ के खाते में जमा कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-76 (श्रम कल्याण) के लेखाशीर्षक 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 01-श्रम-राजस्व 111-श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा 04-उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी की मानकमद 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र) में से पूर्व में शासन के आदेश संख्या-25/2021/1859/36-2-2021-10(जी)/2020-टी0सी0, दिनांक 04-10-2021 द्वारा स्वीकृत धनराशि रूपये 2,75,90,625/- (रूपये दो करोड पचहत्तर लाख नब्बे हजार छः सौ पच्चीस मात्र) को घटाते हुए रूपये 7,01,85,989/- (रूपये सात करोड़ एक लाख पचासी हजार नौ सौ नवासी मात्र) की धनराशि कोषागार से आहरित कर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक, इण्डियन बैंक, सचिवालय बापू भवन, लखनऊ के खाते में जमा कराये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। तत्पश्चात धनराशि रूपये 22,23,386/- (बाइस लाख तेइस हजार सात सौ इकतीस मात्र) अवशेष रहेगी।

3- उक्त स्वीकृति निम्नवत शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत धनराशि से संबंधित चालान प्रतियों एवं पूर्व में स्वीकृत धनराशि से संबंधित चालान प्रतियों में दोहराव न होने पाये। दोहराव की स्थिति में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर का होगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-76 (श्रम कल्याण) के लेखाशीर्षक 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 01-श्रम 111-श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा 04-उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी की मानकमद 42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

(3) उक्त धनराशि किसी भी प्रकार से किसी अन्य योजना/कार्यो हेतु आहरित कर व्यय नहीं की जायेगी तथा आहरित कर बोर्ड के निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण से उक्त धनराशि का आहरण/व्यय नहीं हो पाता है तो दिनांक 31-03-2022 के पूर्व धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(4) उक्त धनराशि को व्यय करने में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22-03-2021 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

प्रेम प्रकाश सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-26/2021/1961(1)/36-2-2021-10(जी)/2020-टी0सी0, तददिनांक,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- श्रम अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चिरौंजी लाल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in